सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. : 01/2018 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2018/00002

अनवान

1. श्री खेमराज पिता मोड़ीलाल दर्जी, निवासी– झाड़ोल पूजा नगर, तहसील झाड़ोल।

–प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल

– विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध प्रकरण सं. 583/2017 न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल आदेश दिनांक 20.11.17

* निर्णय *

दिनांक – 04-07-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर मुकदमा संख्या 583/2017 निर्णय दिनांक 20.11.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा झाडोल, तहसील झाडोल की आराजी संख्या 626 रकबा 0.2000 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 91, भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिनांक 17.10.2017 को प्रकरण रजिस्टर कर दिनांक 02.11.2017 की पेशी का दिया गया, जिस पर अपीलान्ट ने साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा जाने पर पेशी दिनांक 17.11.2017 दी गयी। उस दिन अपीलान्ट श्री खेमराज पिता मोडीलाल दर्जी ने उक्त जमीन के सम्बन्ध में पुराने कब्जे के सबूत पेश करते हुये पत्रावली को नियमन हेतु अग्रेषित करने बाबत् निवेदन किया, जिस पर पत्रावली निर्णय में रखी जाकर अपीलान्ट को सुने बिना अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने का आदेश दिया व दण्ड के रूप में 39/–रूपये की जुर्माना राशि लगायी तथा खडी फसल को नीलाम कर नीलामी राशि राजकोष में जमा करने का आदेश दिया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा पारित उक्त निर्णय न्याय के सिद्धांत एवं विधि के विपरित है। अपीलान्ट का सन् 1983 से आज दिनांक तक शांतिपूर्वक व बिना रोक–टोक के कब्जा चला आ रहा है। पुराना कब्जा होने के सम्बन्ध में सूचना पत्र दिनांक 18.10.1985 के पेश किये गये, जिसमें साबिक आराजी नम्बर 604 पर नाजायज कब्जा होना दर्शाया गया है। इसके उपरान्त निरन्तर अपीलान्ट का उक्त आराजीयात पर निर्बाध कब्जा चला आ रहा हैं। इस प्रकार उक्त आराजी नियमन किये जाने योग्य थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल ने इस पर विचार किये बिना सीधे ही बेदखली का

आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2017 को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 583/2017 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुये अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित निर्णय को न्याय के नेसर्गिक सिद्धांत के विरूद्ध बताया तथा प्रकरण नियमन किये जाने योग्य होने से नियमन किये जाने हेतु अनुरोध किया तथा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

आर.एल.डब्ल्यू 2008(1)आर.जे. पृष्ठ 670

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुये अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित निर्णय को विधि अनुकुल बताते हुये अवगत कराया कि अपीलान्ट आराजी संख्या 626 एवं अन्य राजकीय भूमियों पर कब्जा करने का आदतन अपराधी है। आवंटन नियम 1970 में वर्णित प्रावधान अनुसार आवंटन हेतु वर्ष 2000 से निरन्तर कब्जा काश्त होना अनिवार्य है। अतिक्रमी का प्रकरण नियमन/आवंटन के दायरे में नही आता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित निर्णय नियमानुसार होने से यथावत रखे जाने योग्य है। मात्र अवैध रूप से कब्जे के आधार पर राजकीय भूमियों को नियमन योग्न नही माना जा सकता है। अपीलान्ट अतिक्रमी की श्रेणी में आता हैं।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल की पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी की नकल एवं वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। प्रकरण में विवाद मौजा झाड़ोल, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 626 राजकीय बिलानाम भूमि का है, जिसके 0.2000 हेक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट का नाजायज कब्जा होने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा प्रकरण संख्या 583/2017 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2017 द्वारा अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि का नियमन अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार चाहा गया था, किन्तु तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट का आवंटन/नियमन हेतु पात्र न माना जाकर उसे भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया है। मात्र कब्जे के आधार पर राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण कर नियमन/आवंटन के प्रयास करना अनुचित है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रथम दृष्टया जाहिर नही होता है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाडोल द्वारा प्रकरण संख्या 583/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 20.11.2017 को यथावत रखा जाता है साथ

ही तहसीलदार झाड़ोल को निर्देश दिये जाते है कि बिलानाम राजकीय भूमियों पर यदि और भी कब्जे है तो उन्हें भी चिन्हित किया जाकर नियमानुसार मौके से बेदखली की कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर